

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज  <b>खेम सिंह जोधा बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर)</b>  सू.अ.अ. अपील संख्या : 69 / 2022</p>	<p>नं० व तारीख  अहकाम जो  इस हुक्म की  तामील में  जारी हुए</p>
<p>05.05.2022</p>	<p>अपीलार्थी खेम सिंह जोधा, निवासी ग्राम/पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 12.02.2022 में उसके द्वारा श्रीमति सुमित्रा पारीक, उपखण्ड अधिकारी, बावडी, जिला जोधपुर के द्वारा वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक रथाई सम्पत्ति क्रय करने हेतु अनुमति लेने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों की नियमानुसार प्रमाणित छाया प्रतियां (2) श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, बावडी द्वारा प्रस्तुत राजकीय कार्यों की दैनिक डायरी की नियमानुसार प्रमाणित छायाप्रति मय आवक रजिस्टर क्रमांक से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एक पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	